

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.

25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs.

25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

भारत

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

744715




-::विक्रय पत्र::-

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 20.06.2018 ईरवी को सुरेन्द्र कुमार
आयु लगभग 56 वर्ष पुत्र श्री कस्तूरी लाल जाति पंजाबी निवासी प्लाट
नम्बर 162, गुरु नानकपुरा, आदर्श नगर, जयपुर राज. का विक्रेता जिन्हे
इस विक्रय पत्र में प्रथमपक्ष के नाम से जाना जावेगा की ओर से श्रीमती
चन्द्रा देवी उफ नेहा आयु लगभग 42 वर्ष पुत्री स्व. श्री किशन चन्द एवं
पत्नी श्री दिलीप कुमार जाति सिन्धी निवासिनी प्लाट नम्बर 7/273,
मालवीय नगर, जयपुर राज. की क्रेती जिन्हे इस विक्रय पत्र में द्वितीयपक्ष
के नाम से जानी जावेगी के हित में यह विक्रय पत्र लिखा जा रहा है



उप व्यायक
जयपुर नवम



जिसकी शर्तों से दोगो पक्ष य उनके वारिसान, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न च प्रतिनिधि आदि पाबन्द रहेंगे।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता के स्वामित्व य अधिकार द्वीत का एक निर्मित आवासीय मकान नम्बर 5/183, मालवीय नगर, जयपुर राज मे रिथल है जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम नाप 6 मीटर व उत्तर से दक्षिण नाप 11.250 मीटर है जिसका कुल द्वितीयफल 67.50 वर्गमीटर है जिसकी चारों सीमाओं मे पूर्व की ओर मकान नम्बर 5/182, पश्चिम की ओर मकान नम्बर 5/184, उत्तर की ओर 30 फीट चौड़ी सडक सरकारी तथा दक्षिण की ओर मकान नम्बर 5/166-167 की सीमाये मिली हुई है तथा उक्त संपत्ति मकान निर्मित किया हुआ है जिसमे पट्टीपोश का निर्माण 500 वर्गफीट है एवं आर.सी.सी. की छत का निर्माण 226 वर्गफीट है तथा उक्त संपत्ति मकान पर पानी यिजली के कनेक्शन लगे हुये हैं।

यह कि उक्त मकान नम्बर 5/183, मालवीय नगर, जयपुर सर्वप्रथम राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा श्री गुलाब चन्द पुत्र श्री लेखराम को कार्यालय के आवंटन पत्र क्रमांक 1273 दिनांक 29.10.1987 को 67.50 वर्गमीटर नाप का मकान आवंटित हुआ था जिसकी चाही गई राशि उनके द्वारा विभाग मे जमा कराने के पश्चात् विभाग से उसका वास्तविक कब्जा दिनांक 19.11.1987 को प्राप्त कर लिया।

यह कि उपरोक्त संपूर्ण आवासीय मकान नम्बर 5/183, मालवीय नगर, जयपुर को श्री गुलाब चन्द जी से श्रीमती रमेश कौर पत्नी श्री सरदार चरण जीत सिंह ने क्रय कर उक्त मकान को राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर मे अपने नाम नियमितिकरण कराने के लिये आवेदन किया, जिसकी अनुपालना मे कार्यालय लेखाधिकारी (वसूली) राजस्थान आवासन मण्डल (वृत्त तुलीय) जयपुर के पत्र क्रमांक 915 दिनांक 25.09.2003 को मूल आंवटी के स्थान पर श्रीमती रमेश कौर के नाम पत्र जारी कर दिया और उसकी शेष राशि 82,155/- रुपये जमा कराने को कहा गया जिसे विभाग मे जमा कराने पर राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के पत्र क्रमांक 1557/945 दिनांक 07.10.2003 को श्रीमती रमेश कौर के नाम

(3) द्वारा 11.10.2003 दिनांक

Presentation Endorsement

प्रति दिनका 20 मार्च 2018 को 10:52 AM को
लोकपाली SURENDRA KUMAR PARNAMI पुरुषोदाता की
KASTURI LAL PARNAMI
3A 58 वार्ड, जाति PANJABI, व्यापार Business
परिवारी House No. 162, Colony GURU NANAKPURA, Area: ADARSH
NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 302004, District: JAIPUR, State:
RAJASTHAN
वे भी सम्मत ग्राहक कंठोने हुए प्रतुत किया।

Printed Verified
201801182003994
Sale Deed (Female other than SC/ST/BPL)

Fees Receipt Endorsement

संग्रहीत दर	201802182005097
दिनांक	20-05-2018
पंजीयक दुक्का	19100
पंजीयक दुक्का	0
उपर्युक्त दुक्का	300
अन्य दुक्का	0
पंजीयक दुक्का	76400
बच्ची सम्पादक दुक्का	15200
इन दरों	111080

201801182003994
Sale Deed (Female other than SC/ST/BPL)

हस्ताक्षर उपायकारक
JAIPUR-IX

कृति ग्राहक
उपायकारक
JAIPUR-IX

नियमितिकरण कर नियमितिकरण एवं अदेय प्रमाण पत्र जारी कर दिया
उसकी कन्देन्स डीड अलॉटी एवं परपिच्युअल लीज प्राप्त कर कन्वेस डीड
अलॉटी का पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां उन्हें
रजिस्टर्ड नम्बर 4660, बुक नम्बर 1, वाल्युम नम्बर 301 के पेज नम्बर¹
160 पर उनके अति. वाल्युम नम्बर 1201 के पेज नम्बर 131 से 136 पर
दिनांक 09.10.2003 को एवं परपिच्युअल लीज का पंजीयन कार्यालय उप
पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां उनके रजिस्टर्ड नम्बर 4661, बुक नम्बर 1,
वाल्युम नम्बर 301 के पेज नम्बर 161 पर उनके अति. वाल्युम नम्बर 1201
के पेज नम्बर 137 से 146 पर दिनांक 09.10.2003 को निष्पादित एवं
पंजीयक करवाली थी।





यह कि उपरोक्त संपूर्ण मकान नम्बर 5/183, मालवीय नगर,
जयपुर राज. को श्रीमती रमेश कौर ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र लिखा
हुआ दिनांक 22.02.2013 को श्रीमती प्रमिला परनामी पत्नी श्री सुरेन्द्र²
कुमार को विक्रय कर दिया और विक्रय पत्र का पंजीयन कार्यालय उप
पंजीयक जयपुर प्रथम के यहां उनके रजिस्टर्ड नम्बर 2013051003819
बुक नम्बर 1 वाल्युम नम्बर 729 के पेज नम्बर 85 पर उनके अति. वाल्युम
नम्बर 2911 के पेज नम्बर 459 से 473 पर पंजीयक करवाली। इस प्रकार
उपरोक्त आवासीय मकान नम्बर 5/183 मालवीय नगर, जिला जयपुर की
श्रीमती प्रमिला परनामी एकमात्र मालकिन, स्वामिनी, अधिकारिणी व
काविज हुई।

यह कि श्रीमती प्रमिला परनामी ने अपने उक्त मकान की बावत
अपने जीवनकाल में दिनांक 05.09.2014 को अपने पति श्री सुरेन्द्र कुमार
परनामी पुत्र श्री करस्तूरी लाल जी के हित में एक वसीयतनामा तहरीर व
तहमील किया था जो उप पंजीयक जयपुर द्वितीय के यहां उनके
रजिस्टर्ड नम्बर 2014052000310, बुक नम्बर 3 वाल्युम नम्बर 46 के पेज
नम्बर 99 पर उनके अति. बुक नम्बर 3 वाल्युम नम्बर 104 के पेज नम्बर
884 से 893 पर चस्पा किया गया।

20/5/2018
Chandru dell'

Enforcement of Execution

ज्ञानपत्र का नंबर ५२३

<p>1. विधायक श्रीमती SURENDRA KUMAR PARNAMI, पुरुषों के नाम का पर्वती श्रीमती KASTUB LAL PARNAMI, जारीकर पर्वती का नाम है KASHISH PANAMI, House No. 102, Colony GURU NANAKPUR, Area: ADARSH NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 332036, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN</p> <p>2. विधायक श्रीमती SMT CHANDRA DEVI LILU NEHA, पुरुषों के नाम का पर्वती श्रीमती DILIP KUMAR, पर्वती का नाम है SHEILA, House No. 7072, Colony: MALVIYA NAGAR, Area: MALVIYA NAGAR, City: JAIPUR, Pin code: 332017, District: JAIPUR, State: RAJASTHAN</p>	<p>विधायक  अंगठा</p> <p>विधायक  अंगठा</p> <p>विधायक  अंगठा</p> <p>विधायक  हस्ताक्षर</p> <p>विधायक  हस्ताक्षर</p> <p>विधायक  हस्ताक्षर</p> <p>विधायक  हस्ताक्षर</p>
--	--

यह कि श्रीमती प्रमिला परनामी का दिनांक 28.03.2015 को
स्वर्गवास हो गया और उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके हारा लिखी गई
दरसीयत के आधार पर उक्त मकान को मृतक के पति सुरेन्द्र कुमार अर्थात्
प्रथमपक्ष ने राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर मे उक्त मकान को अपने
नाम ट्रांसफर कराने के लिये आवेदन किया जिसकी अनुपालना मे राज.
आवा. मण्डल जयपुर हारा समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात
कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत्त तुलीय राज. आवासन मण्डल जयपुर
के पत्र क्रमांक 946 दिनांक 01.06.2018 को उक्त मकान नम्बर 5/183,
मालवीय नगर, जयपुर को प्रथमपक्ष विक्रेता के नाम हस्तान्तरण कर दिया।
इस प्रकार वर्तमान मे प्रथमपक्ष विक्रेता उक्त मकान नम्बर 5/183,
मालवीय नगर, जयपुर का एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिकारी एवं
काविज है जिसे आज से पूर्व प्रथमपक्ष विक्रेता ने किसी भी दीगर व्यक्ति
को रहन, विक्रय, हस्तान्तरण आदि नहीं किया है तथा उक्त संपत्ति प्रत्येक
प्रकार के सरकारी अर्द्ध सरकारी, बैंक एल.आई.सी. जनसाधारण के ऋण
भार आदि से मुक्त है तथा किसी प्रकार की कर्जा कुर्की, डिक्री व अन्य
अनुबन्ध पत्र हारा वन्धित नहीं है जिसे प्रत्येक प्रकार से काम में लेने व
विक्रय आदि करने के प्रथमपक्ष विक्रेता को समस्त अधिकार प्राप्त है।

यह कि प्रथमपक्ष विक्रेता को अपनी स्वयं की एवं पारिवारिक
आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये रूपयों की जरूरत होने के कारण उक्त
सम्पत्ति आवासीय मकान नम्बर 5/183, मालवीय नगर, जयपुर राज. को
इसके समस्त स्वत्तों व अधिकारों सहित इसमे बनी हुई तामाम तामीरात
जोड़िया, किवाड़, छत, फर्श, पानी विजली के लगे कनेक्शन मय जमा
राहि सहित बिना रखे किसी भी हक व अंश एवं भाग के कतई
19,10,000/-रुपये अक्षरे उन्नीस लाख दस हजार रुपये मात्र मे
द्वितीयपक्ष क्रेती श्रीमती चन्द्रा देवी उर्फ नेहा आयु लगभग 42 वर्ष पत्नी
स्व. श्री किशन चन्द एवं पत्नी श्री दिलीप कुमार जाति सिन्धी निवासिनी
प्लाट नम्बर 7/273, मालवीय नगर, जयपुर राज. को बेचान कर दिया है
और बेचान की समस्त रकम मे से राशि 4,00,000/-रुपये अक्षरे चार

30 दिसंबर
Chandralal

लाल रूपये जरिये ट्रैक नम्बर 542767 दिनांक 05/05/2018 विजया बैंक शाखा गालीय नगर, जोधपुर द्वारा एवं शेष रकम 15,10,000/- रूपये पन्द्रह लाख दस हजार रूपये जरिये ट्रैक नम्बर 558007 दिनांक 20/06/2018 गालीय बैंक शाखा गुलाम नगर, जोधपुर द्वारा इस प्रकार कुल 19,10,000/- रूपये अबरे उन्नीस लाख दस हजार रूपये प्रथमपक्ष विकेता ने द्वितीयपक्ष कंती से प्राप्त कर उक्त विक्रय किये गये मकान नम्बर 5/183 का कब्जा भय असल कागजातों के द्वितीयपक्ष कंती को शीप दिया है और आज उक्त विक्रय किये गये मकान के विक्रय पत्र की रजिस्ट्री द्वितीयपक्ष कंती के हित में कार्यालय उप पंजीयक जयपुर के यहाँ आकर तहसीर व तकनील करवा दी है। इस प्रकार अब उक्त विक्रय किये गये मकान से प्रथमपक्ष व प्रथमपक्ष के वारिसान का कोई सम्बन्ध नहीं रहा है और न ही भविष्य में रहेगा।

यह कि विद्युती की रकम में से प्रथमपक्ष का कुछ भी शेष लेन देन वाकी नहीं रहा है इस प्रकार अब द्वितीयपक्ष को उक्त मकान से संबंधित समस्त मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये हैं जो आज से पूर्व प्रथमपक्ष को प्राप्त थे।

यह कि अब द्वितीयपक्ष उक्त मकान में स्वयं रहे, इसे किसी को किराये पर देवे, उसमें अपने नाम से पानी विजली के कनेक्शन प्राप्त करे, किसी को बेचान कर इससे फायदा उठावे, उस पर मंजिल दर मंजिल निर्माण करावे, अर्थात् द्वितीयपक्ष जैसा चाहे इसका उपयोग व उपभोग करे जिसके लिये प्रथमपक्ष व उनके उत्तराधिकारियों व वारिसानों को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं होगा।

यह कि विक्रय पत्र संबंधि स्टाम्प फीस आदि का तमाम खर्च स्वयं द्वितीयपक्ष ने अपने पास से ही बहन किया है।

यह कि इस विक्रय पत्र के द्वारा द्वितीयपक्ष उक्त मकान को समस्त सरकारी विभागों में जैसे राज, आवासन मण्डल, जयपुर, जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर, नगर निगम, जलदाय विद्युत विभाग, आदि समस्त मूल आंवटी एवं प्रथमपक्ष के नाम के स्थान पर द्वितीयपक्ष अपना नाम

Chandru Patel



अकिंता कराये और उन कार्यों के लिये कही यह भी प्रथमपद्धति के हस्ताक्षरों
गवाहों, व्यानों आदि ये आवश्यकता हुई तो प्रथमपद्धति द्वारा किसी उज्ज के
द्वितीयपद्धति का सहयोग करने के लिये पाबन्द रहेगे परन्तु इन कार्यों पर
आगे चाले थर्ड को द्वितीयपद्धति ही यहन करेगी।

यह कि प्रथमपद्धति द्वारा आज से पूर्व का कोई वाद विवाद, डागड़ा,
टन्टा, सरकारी या गैरसरकारी वैक एलआईसी, से प्राप्त किया हुआ कोई
उत्तरण आदि कुछ भी उक्त मकान के बारे में पाया गया तो उन समस्त के
निपटारे व छुकाने की जिम्मेदारी प्रथमपद्धति की रहेगी तथा आज के पश्चात
की समस्त जिम्मेदारी द्वितीयपद्धति क्रेती की रहेगी।

यह कि आज से पूर्व की प्रथमपद्धति की स्वामित्व ये किसी भी त्रुटि
के कारण उक्त विक्रय किया गया मकान सम्पूर्ण या इसका कोई भाग
द्विस्ता व अंश उक्त द्वितीयपद्धति क्रेती के अधिकार क्षेत्र से निकल जायेगा
और इस कारण से द्वितीयपद्धति क्रेती को किसी प्रकार की हानि व नुकसान
ढोगा तो ऐसी समस्त हानि व नुकसान को प्रथमपद्धति की अन्य चल व
अचल सम्पत्ति से एकमुश्ल वसूल करने का अधिकार द्वितीयपद्धति क्रेती को
रहेगा जिसके लिये प्रथमपद्धति व उनके वारिसान व उत्तराधिकारी को किसी
प्रकार की आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगी।

यह कि उक्त विक्रय किये गये मकान को भली प्रकार से समझाने
के लिये संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है और यह मानचित्र
भी इस विक्रय पत्र का एक अभिन्न अंग भाना जायेगा।

विक्रय की गई सम्पत्ति मकान का सम्पूर्ण विवरण

यह कि मकान नम्बर 5/183, मालवीय नगर, जयपुर राज. मे
रुप पंडितके स्थित है जिसकी नाप पूर्व से पश्चिम नाप 6 भीटर व उत्तर से दक्षिण
नाप 11.250 भीटर है जिसका कुल क्षेत्रफल 67.50 वर्गभीटर है जिसकी
बारो रीमाओं मे पूर्व की ओर मकान नम्बर 5/182, पश्चिम की ओर
मकान नम्बर 5/184, उत्तर की ओर 30 फीट छोड़ी सड़क सरकारी तथा
दक्षिण की ओर मकान नम्बर 5/166-167 की रीमाये मिली हुई हे तथा
उक्त संपत्ति मकान निर्मित किया हुआ है जिसमे पहाड़ीपोश का निर्माण 500

कृष्णदास

Chandramal Devi

वर्गफीट है एवं आर.सी.सी. की छत का निर्माण 226 वर्गफीट है तथा उक्त संपत्ति मकान पर पानी विजली के कनेक्शन लगे हुये हैं।

अतः यह विक्रय पत्र दोनों पक्षकारान् ने अपनी राजी-खुशी की अवस्था में बिना किसी दबाव के उक्त तमाम इवारत को भली प्रकार से पढ़कर, सुनकर, समझकर दो गवाहानों के समक्ष एक स्टाम्प कीमती 25,000/-रुपये मय 20 प्रतिशत सरचार्ज 5,000/-रुपये कुल 30,000/-रुपये एवं छ. ग्रीन पेपरों पर लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दिये कि सनद् रहे समय पर काम आयें। इति दिनांक 20.06.2018 ईरवी

हस्ताक्षर प्रथमपक्ष विक्रेता:-
(सुरेन्द्र कुमार)

PAN NO. ASEPP5763D



हस्ताक्षर द्वितीयपक्ष क्रेती:-
(श्रीमती चन्द्रा देवी उर्फ नेहा)

PAN NO. AACPC6427H

Chandna Devi



हस्ताक्षर गवाहान :

1. Dilip Kumar

दिलीप कुमार पुत्र श्री किशन चन्द्र आयु 44 वर्ष जाति सिन्धी
पता—7/273, मालवीय नगर, जयपुर

उप पंजीयक
जयपुर नवम

2. अर्जुन दास

अर्जुन दास जैसवानी पुत्र श्री जस्सू मल जैसवानी आयु 65 वर्ष जाति सिन्धी
पता—ए-213, मालवीय नगर, जयपुर

2nd floor
RASNAI
date
20/06/2018